ऑटिज़्म की दवा की जांच पर सवाल

ऑटिज़्म एक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति की संवेदनाएं गड़बड़ हो जाती हैं। इसके अलावा ऑटिज़्म पीड़ित व्यक्ति कुछ चीज़ों पर एकाग्र हो पाते हैं जबकि कुछ चीज़ों पर बिलकुल नहीं। अब तक इसका कोई इलाज नहीं है। मगर यू.एस. में कुछ पालक मानते हैं कि उनके बच्चों को ऑटिज़्म इसलिए हुआ है क्योंकि उन्हें बचपन में जो टीके दिए गए थे, उनमें पारा था। इस धारणा के चलते वे अपने बच्चों को ऐसी दवा देते हैं, जो ऑटिज़्म के इलाज के लिए स्वीकृत नहीं है।

यह दवा चिलेटिंग एजेंट कहलाती है। चिलेटिंग एजेंट कई धातुओं को अपने से जोड़ लेते हैं। जब धातु इन एजेंट से जुड़ जाती है, तो उसका उत्सर्जन यानी शरीर से बाहर निकलना आसान हो जाता है। इस तरह की एक दवा है डाईमर्केप्टो सक्सिनिक एसिड। यह दवाई भारी धातु की विषाक्तता के इलाज के लिए स्वीकृत है, ऑटिज़्म के लिए नहीं। मगर पालक यह मानकर कि उनके बच्चे की स्थिति पारे के कारण है, यह दवा देकर उम्मीद करते हैं कि शरीर से पारा निकल जाएगा और बच्चा ठीक हो जाएगा।

दूसरी ओर चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि यह दवा ऑटिज़्म के मामले में कोई लाभ नहीं पहुंचाती, बल्कि नुकसान कर सकती है। जैसे डाईमर्केप्टो सक्सिनिक एसिड का काम है कि तमाम धातुओं को अपने से जोड़ना। तो यह अंधाधुंध ढंग से जस्ता, कैल्शियम जैसी कई ज़रूरी धातुओं को भी शरीर से बाहर निकालने में जुट सकती है।

इस विवाद के चलते यू.एस. के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के विशेषज्ञों ने प्रस्ताव दिया है कि इस दवा का एक परीक्षण किया जाए ताकि हमेशा के लिए कोई फैसला हो सके। उनका प्रस्ताव यह है कि इस दवा की जांच ऑटिज़्म से पीड़ित ऐसे बच्चों पर की जाए जिनके शरीर में पारे की मापने योग्य मात्रा पाई जाए। मगर अन्य विशेषज्ञों को लगता है कि यह परीक्षण नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। जब यह जानी-मानी बात है कि इस दवा से कोई फायदा नहीं होता (बल्कि नुकसान हो सकता है) तो बच्चों को बेकार में इस परीक्षण से गुज़ारना उचित नहीं कहा जा सकता।

आलोचकों को यह भी लगता है कि पारे का जो भी असर होता है वह स्थाई होता है और असर होने के बाद दवा देने का कोई मतलब नहीं है। हाल ही में एक अनुसंधान से यह भी पता चला है कि चिलेटिंग एजेंट के सेवन से चूहों में संज्ञान सम्बंधी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। मगर उक्त अध्ययन के प्रवर्तकों को लगता है कि इस अध्ययन के बाद कम-से-कम पालकों की इस धारणा को चुनौती दी जा सकेगी।

पूरे विवाद के चलते यह अध्ययन अब अमरीका के स्वास्थ्य व मानव सेवा विभाग की नैतिकता समिति के समक्ष रखा गया है। ***(स्रोत फीचर्स)***